



(Under Section 154 Cr. P.C.)

381

1. District Daryeeling P.S. Siliguri Year 2024 FIR No. 181/24 Date 27.02.2024
Sections 7 i) Act IPC Sections 385/34 IPC
ii) Act x Sections 1 iv) Others Acts & Sections x

3. (a) Occurrence of offence : Day Date From Since 2020 Date To 08.11.2023
Time Period x Time From x Time To x

(b) Information received at P.S. Date 27.02.2024 Time 20:05 hrs

(c) General Diary Reference : Entry No (s) 1522 Time 20:05 hrs

4. Type of Information Written Written / Oral

5. Place of Occurrence : (a) Direction and Distance from P.S. 1.3 km N-W (approx) Boat No x

(b) Address Dangipara, P.S - Siliguri, Dist - Daryeeling.

(c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of the P.S. District

6. Complainant / Informant :

(a) Name Rajesh Patel

(b) Father's / Husband's Name Satyanarayan Patel

(c) Date / Year of Birth x (d) Nationality Indian

(e) Passport No. x Date of Issue : x Place of Issue x

(f) Occupation x

(g) Address B.P. Plaza, Swami Vivekananda Road, Bidhan market, PS - Siliguri, Dist - Daryeeling.

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (Attach separate sheet, if necessary) : ① Uday Jaiswal, s/o - Jaggu Jaiswal, ② Sanjay Jaiswal s/o - Jaggu Jaiswal ③ Aditya Jaiswal s/o - Uday Jaiswal ④ Babita Jaiswal, w/o - Rajesh Jaiswal all of Jaiswal Mawan, opp Arogya Niketan, spt Mukherjee Road, Khatpara

8. Reasons for delay in reporting by the Complainant / Information ① Sanjay Jaiswal s/o - Jaggu Jaiswal ② Rajiv Chachan ③ Amit Agarwal and others.

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet, if necessary) : ① Rs. 40,000/-

10. Total value of properties stolen / involved x

11. Inquest Report / U.D. Case No. If any Ni

12. FIR Contents (Attach separate sheets, if required) : The original written complaint which is treated as FIR is enclosed herewith.

13. Action Taken : Since the above report reveals commission of offence(s) as mentioned at Item No. 2., Registered the case and took up the investigation / directed ASI Inzamamul Haque of KHP TOP under to take up investigation / refused investigation / transferred to P.S. Siliguri P.S. Sec on point of jurisdiction. FIR read over to the Complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant / informant free of cost.

14. Signature / Thumb impression of the Complainant / Informant On original written complaint

15. Date & Time of despatch to the court :

Signature of the Officer-in-Charge, Police Station Name : Binod Singh Rawat Rank : No. 15 Special Incharge Siliguri Police Station Siliguri Police Commissionerate

Date: 27-2-2024

To,

Received on 27/02/24
at 20:05 hrs vide
G.O.No. 1522 and started
Sig PS case NO. 181/24
dt. 27/02/24 u/s. 385/34 IPC
and endorsed to Mr

Injiamamul Majeed,
Hoque of KHP TOP
under Sig PS, SPC
for its
investigation.

The officer in charge,
Khalpara (T.O.P.)
Under Siliguri Police Station.
Siliguri District Darjiling (W.B.)
Sub: FIR

मेरा नाम राजेश पटेल पुरु श्री सत्यनाथय्य पटेल
निवास बी.पी. टावना, स्वामी बिबेकानन्द रोड, विधान मार्केट
पुलिस स्टेशन, शिलिगुड़ी जिला दार्जिलिंग में रहता हूँ। ये मेरा
अस्थायी पता है। मैं जिनके विरुद्ध शिकायत कर रहा हूँ, उनका
नाम ① उदय जैसवाल पुरु जगमू जैसवाल ② संजय जैसवाल
जगमू जैसवाल ③ अदित्य जैसवाल पुरु उदय जैसवाल
④ कबीता जैसवाल w/o संजय जैसवाल चारों का निवास जैसवाल
मकान, आरोग्य निकेतन के सामने, S.P. मुरबर्जी रोड, रंगलपाड़ा
⑤ विजय जैसवाल w/o जगमू जैसवाल ⑥ राजीव चाचाब
गणपति अपार्टमेंट, विद्यासागर रोड, ⑦ अमित भगवान
(पिता और निवास स्थान पता नहीं) ⑧ ⑨ दो व्यक्ति अन्य
महोदय मैंने कारवरी 2020 में उदय जैसवाल
को 40,000 रुपये ड्रागंस देकर 12000 रुपये प्रतिमाह के
दस्तावेज से उनका फ्लैट माझ में लिया और उदय जैसवाल
को रेंट ड्रागिमेंट बनाने के लिये कहा लेकिन FIR
NO 5/20 (रंगलपाड़ा T.O.P.) में दर्ज होने के कारण संजय
जैसवाल को विस्थापित किया गया और मार्च 2020 में उदय
जैसवाल, विजय जैसवाल और कबीता जैसवाल भाग गये

①

Inspector Incharge
Siliguri Police Station
Siliguri Police Commissionerate

Received on 27-02-24 at 12:55 hrs
vide Khalpara T.O.P. G.O.No. - 761 dt 27-2-24
and forwarded to FIC Siliguri as to conduct
a separate case under Proviso of Law.
27/2/24
Officer-In-Charge
Khalpara T.O.P.
S. Siliguri Police
Station

थे हाकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार ना करे और कोई बैरिगेन
रेल का का नही पाया। दिसम्बर 2020 में वो वापिस घर में
आया तब तक घर का माझा घर मछिने उनका बेटा
आदित्य जैसवाल बे रहा था। जनवरी 2021 में काम से
घर से बाहर जाता था तो पिछे से वो मेरे घर में
आता था। मैंने उसको मना किया तो वो मान गया लेकिन
29 जुन में बह फिर वही हरकत करने लगा। उदय जैसवाल
मेरी पत्नी को कहता कि "तुम राजेश को छोड़कर मेरे
से शादी कर लो मैं भी अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा"
ये कहकर वो मेरी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की
कोशिश की तो मेरी उदय जैसवाल के साथ हथ्यापार हुई।
मैंने उदय जैसवाल को घर बबली करके को काटा और
अपना उडबॉस वापिस मांगा तो उदय जैसवाल ने कहा कि
सबसे मुझे जो 5 लाख रुपये उधार दे रहे हैं उन्हें
वापिस मांगा जो मैंने लिये ही नही थे। जुलाई में मेरी
पत्नी किसी काम से पीछ गई हुई थी और बैच मेरे
पास में था तो उदय जैसवाल जबरदस्ती मेरे बेटे को
छीनकर छत पर ले गया और अपने बेटे आदित्य जैसवाल
को उसे छत से नीचे फेकने को बोला, उसी वकत संजय
जैसवाल वहाँ पर आया और कहा कि हम तुम्हारे बेटे को
छत से नीचे फेककर तुम्हें तुम्हारे बेटे के मर्डर केस
में फँसवा देंगे। विजय जैसवाल ने कहा कि तुम अपना
विडियो बना लो कि तुमने 5 लाख रुपये लिये हैं वरना
बेटे की मौत देरोगे। मैंने अपना विडियो मजबूती में
बना लिया। 20 जुलाई को मैं बिना घर का सामान
लिये चुपचाप घर से निकल गया क्योंकि मुझे अपनी पत्नी
और बेटे को बचाना था। मेरा फ्लैट लीसरे तल्ले पर था

विजय जंसवाल, संजय जंसवाल मेरे बीच और उदय जंसवाल मेरे उपर रहता था। जिस समय मेरे बेटे को बीच केकड़े का प्रेशर बनाया था उसी समय उदय जंसवाल ने मेरे घर का साथ सामान एक कमरे में रख कर वाला लगा दिया। उसने अनवरदरजी ~~हू~~ मुझे जलाने के लिये दैरे को कहा और सेटलमेंट करने के लिये बोला। मैंने सेटलमेंट नहीं किया तो उसने खालपाड़ा TOP में 1076/21 में 29 अगस्त 2021 को केस दर्ज किया। मैंने भी थाना इंचार्ज को F.I.R दी लेकिन मेरी F.I.R दर्ज नहीं हुआ तो दिनांक 10 सितम्बर 2021 को स्प्रीड पोस्ट से F.I.R भेजी। मेरी बेल छोड़े के बाद मैंने कोर्ट से सर्व जारेंट की अपील की तो उदय जंसवाल मेरे साथ सेटलमेंट करने के लिये बोला लगा। मैंने सेटलमेंट नहीं की तो मोबाइल नंबर 85360 80054 नंबर से बातचाप कास करवा कर किसी गुंडे से धमकी दिलावा शुरू किया। वो गुंडा अपने आप को C.B.I officer बताया था। ये घटना 28-4-2022 की है। इसके बाद 19-5-2022 को अहमदाबाद मारवाड़ी मकान के सामने और 11-10-2022 को खालपाड़ा सब्जी मण्डि में माँ दुर्गा ड्रेडिंग कम्पनी में मेरे साथ मारपीट की। 11-10-2022 की मारपीट में मुझे पेट और कमर में काफी दर्द ^(दर्द) भी रहा।

6 फरवरी 2023 को संजय जंसवाल और ज्वीता जंसवाल ने कोर्ट में कहा कि हमने तुम्हारे घर का साथ सामान बेच दिया है तथा पुलिस को जोरी का केस दर्ज करने के लिये मना कर दिया है। उदय जंसवाल बार बार मेरे उपर केस सेटलमेंट का दबाव बनाते आता है। जिस आता है अमित अग्रवाल का फोन वो अपने सारे की

शरी के लिये बाह करता है और उदय असबल से
सेटलमेंट के लिये रहता है। अमित अग्रवाल कहता है कि
अगर तुमने सेटलमेंट नहीं किया तो वो भी मेरे उपर
सूडा 5 लाख रुपये का मुकदमा करेगा। मैं जब उदय
असबल से सेटलमेंट के लिये मना करता हूँ तो
अमित अग्रवाल अपने नंबर (9475753507) से उदय
असबल से गंदी गंदी गालियाँ बिकलवाता है। संजय असबल
अमित अग्रवाल के फोन से कहता है कि 3 लाख रुपये
बेकर घर में आ जाओ वरना अमित अग्रवाल से तुम
पर सूडा केस करवायेंगे और पुलिस से रिमाण्ड में
भिरवायेंगे। राजीव चाचान भी उसके फोन से गंदी गंदी
गालियाँ देता था। 7 नवम्बर 2023 को राजीव चाचान ने
मुझे बताया कि उदय असबल ने तुम्हें मारने की सुपारी
दे दी है। तुम उदय असबल से सेटलमेंट कर लो।
8 नवम्बर 2023 को अमित अग्रवाल अपने दो साथियों
के साथ मुझे शंकरमोड़ पर रोहित बंसल की अगारबनी
की दुकान से बाहर बुलाने लांगीपाड़ा लेकर जाता है और
रिवाल्वर दिखाने उदय असबल और संजय असबल से
फोन पर बात करवाता है। संजय असबल मेरे से 3
लाख रुपये की डिमांड करता है वरना जान से मरना है
की चमकी देता है। महोदय उन्होंने घर का लाला लेकर
साथ सामान निकालकर बेच दिया मेरे घर के अन्दर
अनुमानित सामान की कीमत 8 लाख रुपये है।

आपसे निवेदन है कि मुझे मामले की तद्विषयक करके
उचित कदम उठाने का कार्य करे। मुझे आशा ही नहीं
अपित्त विश्वास है कि आप उचित कदम उठायेगे।

व्यवहार

Your Faithfully

Rajesh Patel

Rajesh Patel

89675 60341